: : कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर : :

क्रमांक:–शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1(ए)/सेटअप परिवर्तन/16–17   दिनांक :– 01.06.2016

1. समस्त उप निदेशक,
   माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा

विषयः– सेटअप परिवर्तन प्रकिया के संबध में।

प्रसंगः– शासन का आदेश क्रमांक प017(2) शिक्षा–2/2003 दि0–31.05.16

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शासन के प्रासंगिक आदेश अतंर्गत निर्देशानुसार विषयक कार्य संपादन के संबध में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए जाते है।

1. काउसिंलिग के संबध में।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस. बी सिविल याचिका संख्या 6272/2016 व 117 अन्य में दिनांक 30.05.16 को पारित आदेश में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में तृतीय श्रैणी अध्यापक के सेटअप परिवर्तन के उपरांत परामर्श(Councelling) से पदस्थापन का संशोधन कार्यकम निम्नानुसार सूचित किया जाता है–

क्रम सं0	काउसिंलिग हेतु पूर्व निर्धारित दिनांक	संशोधित काउसिंलिग दिनांक
1	24.05.16	03.06.16
2	25.05.16	04.06.16
3	26.05.16	05.06.16
4	27.05.16	06.06.16
5	काउसिंलिग में अनुपस्थित रहे अध्यापक	07.06.16

दिनांक 24.05.16 को स्थगन आदेश से पूर्व काउसिंलिग कर ली गई है तो काउसिंलिग पुनः नही की जाएगी तथा पूर्व में की गई काउसिंलिग ही प्रभावी रहेगी। शेष शर्ते इस विभाग का समसंख्यकपत्र दिनांक 09.05.16 द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार रहेगी। पूर्व में आयोजित काउसिंलिग तथा पूर्व में जारी किए गए पदस्थापन आदेशो एव अब संशोधित दिनांक को आयोजित की जाने वाली काउसिंलिग के संबध में जारी किए गए आदेशों के लिए कार्यग्रहण की अंतिम दिनांक 15.06.16 रहेगी।

2. परिवेदना निस्तारण समिति

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एसबी सिविल रिट पीटीशन–6272/2016 व 117 अन्य में दिनांक 30.05.2016 को परित आदेश एव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच द्वारा दिनांक 31.05.2016 को पारित निर्णय में प्रदत निर्देशो के कम में तृतीय श्रैणी शिक्षको के सेटअप परिवर्तन उपरांत परामर्श कैम्प द्वारा पदस्थापित याचिकार्थियों तथा काउसिंलिग में उपस्थित रहे अध्यापको

की परिवेदनाओं के सम्यक निस्तारण हेतू जिला स्तर पर निम्नानुसार परिवेदना निस्तारण समिति का गठन किया जाता है–

- उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा (संबधित मंडल) —अध्यक्ष
- जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. प्रथम/द्वितिय–संबधित जिला —सदस्य
- जिला शिक्षा अधिकारी मा. प्रथम/द्वितिय —संबधित जिला —सदस्य सचिव

परन्तु जिस जिले में जिला जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारभिंक के प्रथम व द्वितिय कार्यालय है वहां दोनो जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारभिंक, प्रथम व द्वितिय समिति की बैठक में भाग लेगें। किंतु सदस्य सचिव जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–प्रथम रहेगा।

उक्त समिति का कार्यालय संबधित जिला शिक्षा अधिकारी मा.शि प्रथम का कार्यालय रहेगा तथा याचिकार्थियों द्वारा परिवेदना समिति के सदस्य सचिव को प्रस्तुत की जाएगी। उक्त समिति याचिकार्थियों से प्राप्त परिदेदनाओ का माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्धारित समय सीमा में सम्यक निस्तारण करेगी तथा सुधारात्मक उपाय भी करेगी। इस हेतु निम्नाकिंत निर्देश प्रदान किए जाते हैं–

- प्रत्येक परिवेदना का पंजीयन पृथक रजिस्टर में किया जाएगा तथा पंजीयन उपरांत दिनांक एंव समय अंकित कर प्रार्थी को प्रप्ति रसीद प्रदान की जाएगी।
- जिन याचिकार्थियों की काउसिंलिग हो चुकी है, वे दिनांक 01 व 02 जून 2016 को अपनी परिवेदना उक्त समिति को प्रस्तुत करेगें।
- जिन याचिकार्थियों की काउसिंलिग संपादित होनी शेष है व उनके काउसिंलिग दिवस के पश्चातवर्ती दो दिवस में अपनी परिवेदना उक्त समिति को प्रस्तुत कर सकेंगे।
- उक्त समिति याचिकार्थियों से प्राप्त परिवेदनाओं का निस्तारण पंजीयन तिथि से तीन सप्ताह के भीतर आवश्यक रूप से सकारण स्पिकिंग आदेश जारी कर करेगी एंव इसकी संबधित सूचना संबधित याचिकार्थियों को विभागीय पोर्टल के माध्यम से संसूचित करेगी।
- परिवेदना समिति के समक्ष याचिकार्थियों के अतिरिक्त उन्ही शिक्षकों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत की जा सकेगी जो काउसिंलिग में उपस्थित हुए है।

3. प्रारभिंक शिक्षा के विधालयों से कार्यमुक्ति के संबध में

- जिला शिक्षा अधिकारी प्रा० शि०/ब्लॉक प्रारभिंक शिक्षा अधिकारी सेटअप परिवर्तन के अध्यापक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि उस अध्यापक की उस विधालय से कार्यमुक्ति के कारण वह विद्यालय अध्यापक विहिन न हों।
- यदि प्रावि/उप्रावि में दो या दो से अधिक अध्यापकों का सेटअप परिवर्तन हो गया हो एंव इससे विद्यालय अध्यापक बिहीन होने की स्थिति उत्पन्न हो तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठता सूची के अनुसार कनिष्ठतम अध्यापक को

विधालय में फिलहाल रखते हुए शेष अन्य सेटअप परिवर्तन हुए अध्यापकों को निर्धारित स्थान के लिए कार्यमुक्त किया जावे।

- उपर्युक्त दोनो ही स्थितियों में विद्यालय द्वारा तत्काल संबंधित जिशिअ प्राशि/बीईईओ को सूचित किया जाएगा। उक्त कार्यमुक्ति से रोके गए अध्यापक की कार्यमुक्ति नवीन पदस्थापित अध्यापक द्वारा इस विद्यालय में कार्यग्रहण करने पर की जा सकेगी।

6/1/16

(जे.सी. पुरोहित)
आई.ए.एस.
निदेशक प्रारंभिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।

(बी. एल. स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।

प्रतिलिपी:–

1 शासन सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर
2 उपशासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
3 जिला शिक्षा अधिकारी मा/प्रा (विधि जयपुर/जोधपुर)
4 कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा–वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
5 विधी अनुभाग,कार्यालय हाजा।

संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।